

पत्र सं०- अपर आयु०पुलिस/ अनंतिम वरिष्ठता सूची / 2022-23/

(6)

91 /राज्य कर  
कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश  
(पुलिस-कैम्प)  
दिनांक:: लखनऊ:: 12 मई, 2022

समस्त,

अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०)

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।


कृपया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गाजियाबाद व बुलन्दशहर के क्रमशः पत्र संख्या- प-96/2021 व प-51/2021 दिनांक 02-05-2022 व 02-05-2022 ने पुलिस अधीक्षक, कार्मिक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या:-पाँच-2500(सं०वरि०)2021 दिनांक 30-04-2022 द्वारा दिनांक 31-12-2011 तक के भर्ती आरक्षियों को सूचित किया गया है कि उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट <https://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित अनंतिम वरिष्ठता सूची का अवलोकन कर अपने नाम की पुष्टि कर लें तथा वरिष्ठता सूची में अंकित किसी भी पुलिस आरक्षी को अपनी वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपने प्रार्थना-पत्र व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रधान लिपिक कार्यालय, जनपद में उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षा की गयी है।

समसन्दर्भ में अपने-अपने जॉन में सम्बद्ध दिनांक 31-12-2011 तक के भर्ती आरक्षियों को अपने स्तर से निर्देशित कर दें कि वह उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट <https://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित अनंतिम वरिष्ठता सूची का अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

अपर आयुक्त(पुलिस) राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या: व दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि: संयुक्त आयुक्त(आई०टी०) राज्य कर मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु

  
12-05-2022  
अपर आयुक्त(पुलिस) राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

13/05/22  
125-22

654

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,

समयबद्ध / महत्वपूर्ण / ई-गेल / फ़ैक्स

जनपद

बुलन्दशहर।

पत्रांक: प-51/2021

दिनांक -05-2022

सेवा में,

1. आयुक्त, वाणिज्यकर विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
2. पुलिस अधीक्षक, प्रशासन, सी०बी०आई० अकादमी, गाजियाबाद।
3. पुलिस अधीक्षक, यूपीपीसीएल, उ०प्र० लखनऊ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक, कार्मिक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या पॉच-2500(स०वरि०)2021 दिनांक 30-04-2022 द्वारा दिनांक 31-12-2011 तक के भर्ती आरक्षी नागरिक पुलिस की संयुक्त अनंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गयी है। उक्त वरिष्ठता सूची उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट <https://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित करते हुए यह निर्देशित किया गया है कि यदि उक्त वरिष्ठता सूची में अंकित किसी भी पुलिस आरक्षी को अपनी वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो दिनांक 07-05-2022 तक संबंधित कार्यालय में प्रार्थना-पत्र उपलब्ध करा सकता है।

अतः जनपद बुलन्दशहर से अपने अधीनस्थ प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त दिनांक 31-12-2011 तक के भर्ती आरक्षियों को सूचित करने का कष्ट करें कि वह उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट <https://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित अनंतिम वरिष्ठता सूची का अवलोकन कर अपने नाम की पुष्टि कर लें तथा वरिष्ठता सूची में अंकित किसी भी पुलिस आरक्षी को अपनी वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो दिनांक 07-05-2022 तक अपने प्रार्थना-पत्र व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रधान लिपिक कार्यालय, जनपद बुलन्दशहर में उपलब्ध करा दें। यदि निर्धारित तिथि तक कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि किसी आरक्षी को उक्त निर्गत वरिष्ठता सूची में कोई आपत्ति नहीं है, और तदनुसार अग्रिम कार्यवाही कर दी जायेगी। प्रकरण समयबद्ध एवं महत्वपूर्ण है।

अतएव आपकी व्यक्तिगत रुचि अपेक्षित है।

आपका भापुम्त (पु०)

ST

AGI 21/5/22  
पुलिस उपमहानिरीक्षक/  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
बुलन्दशहर।

शुभे भापुम्त  
9-5-22

Am. Com. Police

500

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गाजियाबाद।  
 समयबद्ध/महत्वपूर्ण/रजिस्टर्ड  
 फोन-0120-2820157, फैक्स-0120-2821120 सीयूजी-9454400274 ई-मेल-sspgzb-up@nic.in  
 पत्र संख्या : प-96/2021 दिनांक : मई 2, 2022

सेवा में,

1. आयुक्त, वाणिज्यकर विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद/  
नोएडा विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
3. पुलिस अधीक्षक, प्रशासन, सी०बी०आई० अकादमी, गाजियाबाद।
4. पुलिस अधीक्षक, यूपीपीसीएल, उ०प्र० लखनऊ।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक, कार्मिक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या पॉच-2500(सं०वरि०)2021 दिनांक 30-04-2022 द्वारा दिनांक 31.12.2011 तक के भर्ती आरक्षी नागरिक पुलिस की संयुक्त अनंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गयी है। उक्त वरिष्ठता सूची उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट <https://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित करते हुए यह निर्देशित किया गया है कि यदि उक्त वरिष्ठता सूची में अंकित किसी भी पुलिस आरक्षी को अपनी वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो दिनांक 07.05.2022 तक संबंधित कार्यालय में प्रार्थना-पत्र उपलब्ध करा सकता है।

अतः जनपद गाजियाबाद से अपने अधीनस्थ प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त दिनांक 31.12.2011 तक के भर्ती आरक्षियों को सूचित करने का कष्ट करें कि वह उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट <https://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित अनंतिम वरिष्ठता सूची का अवलोकन कर अपने नाम की पुष्टि कर लें तथा वरिष्ठता सूची में अंकित किसी भी पुलिस आरक्षी को अपनी वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो दिनांक 07.05.2022 तक अपने प्रार्थना-पत्र व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रधान लिपिक कार्यालय, जनपद गाजियाबाद में उपलब्ध करा दें। यदि निर्धारित तिथि तक कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि किसी आरक्षी को उक्त निर्गत वरिष्ठता सूची में कोई आपत्ति नहीं है, और तदनुसार अग्रिम कार्यवाही कर दी जायेगी। प्रकरण समयबद्ध एवं महत्वपूर्ण है। अतएव आपकी व्यक्तिगत रुचि अपेक्षित है।

पुलिस उपाधीक्षक, कार्यालय  
कृते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
गाजियाबाद।

उपपुस्त (सु०)

श्री आमुस्त

9.5.22

596

57

1115  
M. S. M. P. O. G.